(102)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 4143–पीबीआर/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–10–2012 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन, प्रकरण कमांक 339/अपील/2010–11.

.....

जगदीश पिता सिद्धूजी बलाई
निवासी ग्राम लेकोड़ा आजंना
तहसील नागदा जिला उज्जैन

..... आवेदक

विरूद्ध

कैलाशचन्द्र पिता कनीराम बलाई
निवासी ग्राम लेकोड़ा आजंना
तहसील नागदा जिला उज्जैन

.....अनावेदक

श्री दिनेश व्यास, अभिभाषक– आवेदक
श्री आर0सी0मूणत, अभिभाषक– अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक: 15/9/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–10–2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि ग्रामवासियों द्वारा इस आशय की शिकायत की गई कि आवेदक द्वारा शासन की भूमि में से मुरम एवं खनिज मिटटी आदि अवैध रूप से खुदवाता है एवं शासकीय कार्य में लापरवाही करता है।

तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 28–10–09 को आदेश पारित कर आवेदक को कोटवार पद से पृथक किया गया एवं दिनांक 8–2–10 को आदेश पारित कर अनावेदक को कोटवार पद पर नियुक्त किया गया । आवेदक द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 28–10–2009 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 27–4–10 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश निरस्त कर प्रकरण पुनः कार्यवाही हेतु तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा प्रारंभिक बहस सुनकर अभिलेख की मॉग की गई एवं सूचना पत्र जारी किये । तहसीलदार द्वारा अभिलेख नहीं भेजकर दिनांक 2–8–10 को आदेश पारित कर आवेदक को कोटवार पद पर नियुक्त किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 26–4–11 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30–10–12 को आदेश पारित कर तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त किये जाकर अनावेदक को कोटवार पद पर अस्थायी रूप से पुनः नियुक्त किया जाकर 15 दिवस में सूचित किये जाने के निर्देश तहसीलदार को दिये गये । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी का प्रत्यावर्तन आदेश था जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील सुनकर अपर आयुक्त द्वारा निराकरण करने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने में अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा यह माना है कि आवेदक की कोटवार पद पर अस्थायी नियुक्ति हो चुकी है । इसके बावजूद अनावेदक की अस्थायी नियुक्ति

करने में अपर आयुक्त द्वारा क्षेत्राधिकार रहित कार्यवाही की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि कोटवारी नियमों के तहत अस्थायी कोटवार की नियुक्ति के आदेश के विरूद्ध अपील/निगरानी प्रस्तुत नहीं की जा सकती है । इसके बावजूद भी अपर आयुक्त द्वारा निगरानी में आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि कोटवारी नियमों के अन्तर्गत कोटवार नियुक्त करने का अधिकार तहसीलदार को प्राप्त है । अतः अपर आयुक्त द्वारा कोटवार की अस्थायी नियुक्ति करने में क्षेत्राधिकार रहित कार्यवाही की गई है इसलिये अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदक का यह तर्क अनुचित है कि अनुविभागीय अधिकारी के प्रत्यावर्तन आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अपील प्रस्तुत की गई है, क्योंकि अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी ही प्रस्तुत की गई है और अपर आयुक्त द्वारा निगरानी में ही आदेश पारित किया गया है, केवल टंकण त्रुटि के कारण उन्मान में अपील लिखा गया है ।

(2) आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पक्षकार नहीं बनने के कारण उसके द्वारा हितबद्ध पक्षकार होने से निगरानी प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो कि ग्राह्यता के समय स्वीकार किया गया है।

(3) आवेदक को कोटवार पद से पृथक करने के उपरांत ही अनावेदक को चौकीदार के पद पर नियुक्त किया गया है जो कि वैधानिक एवं उचित कार्यवाही है।

(4) तहसीलदार द्वारा शिकायत के आधार पर विधिवत् जॉच की जाकर आवेदक द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण पाते हुये उसे कोटवार पद से पृथक किया गया है जो कि विधिसंगत कार्यवाही है, इसलिये अपर आयुक्त का आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसील न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण स्थायी कोटवार आवेदक जगदीश के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने पर प्रारंभ हुआ था, जिसमें अंतिम रूप से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 27–4–2010 को आदेश पारित कर प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया था । इस बीच अनावेदक कैलाश अस्थायी कोटवार नियुक्त हुआ, जिसकी पुष्टि अपर आयुक्त ने की है । तहसीलदार ने इसे अंतिम मानकर अनुविभागीय अधिकारी के प्रत्यावर्तन आदेश दिनांक 27–4–2010 पर कोई कार्यवाही नहीं कर प्रकरण नस्तीबद्ध कर दिया । अनावेदक कैलाश की हैसियत केवल अस्थायी कोटवार की थी । तहसील न्यायालय को अनुविभागीय अधिकारी के प्रत्यावर्तन आदेश पर विधिवत् कार्यवाही करनी चाहिये, क्योंकि आवेदक जगदीश के विरूद्ध कार्यवाही को अभी अंतिमता प्राप्त नहीं हुई है । ऐसी स्थिति में अनावेदक कैलाश की अस्थायी कोटवार की नियुक्ति को विधिवत् नहीं माना जा सकता है । अपर आयुक्त ने भी माना है कि अभी आवेदक जगदीश के विरूद्ध पूर्ण विधिवत् जॉच होनी है । उक्त परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–10–2012 निरस्त कर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी के प्रत्यावर्तन आदेश दिनांक 27–4–2010 पर कार्यवाही करने के लिये तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर